(ग) राज्य के प्रत्येक गांव में पेयजल की आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु)** : (क) इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उम्मीद है कि राज्य सरकार बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के अन्तर्गत तथा उपमिशन सहित राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति संबंधी विभिन्न योजनाओं को लागू करेंगे।

## गांवों का शहरीकरण

102. **श्री रामजीलाल:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिणी दिल्ली और बाहरी दिल्ली में आज तक कितने गांवों का शहरीकरण किया गया है;

(ख) क्या महरौली जोन में स्थित गांवों अर्थात लाडो सराय, सैदुलाजाब, नेब सराय, मैदानगढ़ी इत्यादि का शहरीकरण हो गया है अथवा नहीं; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान कितने गांवों का शहरीकरण किए जाने की संभावना है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु)**: (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## Diversion of Panchayati Raj Funds in West Bengal

103. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that huge funds have been diverted from Panchyati Raj Funds to other projects by West Bengal Government as reported in all newspapers of 6th July, 1997;

(b) whether it is also a fact that such diversion of funds to Bengal Government has deprived millions of people from getting financial help under Jawahar Rozgar Yojana; and

(c) what action Government have taken so far in the matter?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

## गुजरात के जिलों में पेयजल हेतु सहायता

104. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार की ओर से राज्य में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य के पंचमहल, बनासकांठा और कच्छ जिलों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु की गई कार्रवाई का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान इन जिलों में पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को विश्व बैंक की सहायता उपलब्ध कराई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु)**: (क) गुजरात राज्य सरकार ने प्रभावित बसावटों में गुणवत्ता संबंधी समस्या को हल करने के लिए उप-मिशनों के तहत तकनीकी स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता के लिए बनासकांठा सहित सात जिलों के लिए परियोजनाएं भेजी हैं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा राज्य क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत और न्यूनतम मूलभूत सेवाओं के अंतर्गत पेयजल योजनाएं चलाई जा रही हैं।

(ग) 1996-97 के दौरान गुजरात राज्य सरकार को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 41.97 करोड़ रुपये रिलीज किए गए थे। 1997-98 के दौरान अभी तक केन्द्रीय सहायता के रूप में 25.36 करोड़

रुपये रिलीज किए गए हैं। जिलावार और योजनावार आबंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

**गुजरात के कच्छ और बनासकांठा जिलों को गरीबी निवारण हेतु सहायता**

105. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात के ऋणग्रस्त और सूखा पीड़ित जिलों कच्छ और बनासकांठा की जनजातियों की दशा के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गरीबी निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा उक्त जिलों को कितनी वित्तीय सहायता जारी की गई है;

(घ) इन जिलों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए किन-किन योजनाओं को लागू किया गया है;

(ङ) क्या इन जिलों के ग्रामीण और सरहदी जिले होने के कारण महिलाओं के उत्थान और स्वरोजगार संबंधी कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके हैं; और

(च) क्या सरकार द्वारा इन जिलों में गरीबी निवारण कार्यक्रमों के प्रसार और प्रचार के लिए कोई ठोस प्रयास किए गए है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री बिन्नराप्पु वेंकटप्पायडु):** (क) से (ङ) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा गुजरात की जनजातियों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले व्यक्तियों की ऋणग्रस्त का मानीटरन नहीं किया जा रहा है। तथापि, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहरण रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना दस लाख कुओं की योजना, सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना जैसी विभिन्न ग्रामीण रोजगार तथा अन्य विकासात्मक योजनाओं को केन्द्र द्वारा देशभर में महिला तथा जनजातीय आबादी सहित ग्रामीण निर्धनों के लाभ के लिए चलाया जा रहा है।

गुजरात राज्य के कच्छ और बनासकांठा जिलों की विभिन्न योजनाओं के लिए जारी की गयी वित्तीय सहायता की राशि निम्नानुसार है:—

**कच्छ जिला**

| योजना | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 |
|---|---|---|---|
| समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 48.43 | 52.64 | 53.54 |
| जवाहर रोजगार योजना | 475.36 | 254.67 | 70.87 |
| सुनिश्चित रोजगार योजना | 200.00 | 500.00 | 500.00* |
| दस लाख कुओं की योजना | 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान जारी राशि को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत शामिल कर दिया गया। | | 42.73 |
| इंदिरा आवास योजना | -वही- | -वही- | 81.14 |
| राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम | — | 24.83 | 45.55 |
| महिला एवं बाल विकास योजना | — | — | — |
| **बनासकांठा जिला** | | | |
| समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 86.53 | 103.15 | 111.65 |